न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 238/2021(2021/460)

1. सुरजमल पुत्र ऊँकार जाति भी निवासी धोलाई(देवगांव) तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकड़ी।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री शिवप्रसाद पाराशर
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकड़ी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम धोलाई(देवगांव) तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है।** आराजी निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
15–153	20 24 520/747	0.46 0.54 0.38	बारानी 3 पेटा.ता बा.3
	कुल किता 3	रकबा 1.38हैक्टर	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के जरिये बटवारा के प्राप्त हुई है बटवारे के समय उक्त आराजीयात का बटवारा कर राजस्व रिकार्ड में बटवारा प्रस्तात तैयार कर राजस्व रिकार्ड व नक्शे में उक्त वर्णित आराजीयात को बटवसारे के अनुसार तरमीम किया गया था। उक्त वर्णित आराजीयात की तरमीम से प्रार्थी सन्तुष्ट नहीं है अपनी आराजीयात का मोके पर नाप चोप करवाकर प्रार्थी अपनी हिस्से में आई हुई आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी की आराजी पूर्व में सयुक्त खातेदारी की थी जिसका बटवारा हो चुका हे। तथा राजस्व रिकार्ड में तरमीम भी कर दी गयी है। लेकिन बटवारे की तरमीम से प्रार्थी सन्तुष्ठ नही होने के कारण अपने सहखातेदारो से आये दिन सीमाओ को लेकर विवाद होता है इसलिए प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी करने हेतु दिनांक 5.4.2021 को प्रतिवादी के कार्यालय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रतिवादी द्वारा ना तो वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान किया गया है और ना ही पत्थरगढी की गयी और प्रतिवादी द्वारा कहा गया की न्यायालय से आदेश होने पर ही हम पत्थरगढी करेगे इसलिए यह प्रार्थना पत्र वास्ते स्थायी पत्थरगढी किये जाने बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्णित आराजीयात की आराजीयात स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित हैं जिससे की सहखातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मोके पर विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी ने उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.21 11:48:59 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। ...लदार केकडी वाके ग्राम धोलाई(देवगांव) तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 15–153 के कु...ता 3 कुल रकबा 1.38, की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर ...ार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी
उपखण्ड ...
लोक ...
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.21 11:48:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner